कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना, म0प्र0

//ज्ञापन//

क्र./3417/चार–03–01/2016 पन्ना, दिनांक 16 सितम्बर, 2025

प्रति,

आयुक्त (विज्ञापन शाखा)
जनसंपर्क संचालनालय,
जनसंपर्क भवन, बाणगंगा रोड़
भोपाल (म.प्र.)

विषय– जिला न्यायालय परिसर सर्विस बिल्डिंग पन्ना स्थित फोटोकॉपी कक्ष क्रमांक 02 के संचालन हेतु निविदाओं को प्रकाशित कराये जाने बावत्।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिला न्यायालय परिसर सर्विस बिल्डिंग पन्ना स्थित फोटोकॉपी कक्ष क्रमांक 02 का संचालन कराये जाने हेतु निविदाओं का प्रकाशन कराया जाना है।

अतः यथाआदेश लेख है कि संलग्न निविदा प्रारूप को प्रादेशिक/स्थानीय स्तर के समाचार पत्रों में निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से प्रकाशित कराया जाकर, समाचार पत्रों की पूर्ण प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्न– निविदा आमंत्रण सूचना की विज्ञप्ति।

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)

पृ.क्र./ /चार–03–01/2016 पन्ना, दिनांक सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि :– यथाआदेशानुसार।

1. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क कार्यालय पन्ना की ओर प्रेषित कर लेख है कि स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाकर संबंधित समाचार पत्र की पूर्ण प्रति इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने का कष्ट करें।
2. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, पन्ना की ओर निविदा फार्म एवं शर्तें वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

सही/–
वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)

जिला न्यायालय पन्ना स्थित फोटोकॉपी कक्ष क्रमांक 02 के संचालन हेतु निविदा फार्म एवं शर्ते

प्रथम पक्ष :– **निविदाकर्ता का**

नाम..

पता..

....

मोबाईल नं. ....

द्वितीय पक्ष :–

जिला रजिस्ट्रार
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला–पन्ना (म.प्र.)

जिला न्यायालय परिसर पन्ना स्थित सर्विस बिल्डिंग के अंतर्गत स्थित फोटोकॉपी कक्ष क्रमांक 02 के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से 01 वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन निविदाएं विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं :–

।। निर्धारित शर्ते ।।

01. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंध निविदाएं **"जिला रजिस्ट्रार, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना"** के नाम से दिनांक **16.10.2025** के **सायंकाल 05:00 बजे** तक स्वीकार की जावेंगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

02. अनुज्ञा शुल्क जिला न्यायालय परिसर पन्ना स्थित फोटोकॉपी कक्ष क्रमांक 02 हेतु ₹ 11,200/– निर्धारित है।

03. निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ फोटोकॉपी हेतु ₹ 10,000/– रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट अमानत के रूप में अग्रिम द्वितीय पक्ष के हित में देय होगा, जो जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जायेगी, उक्त निविदाकर्ता की राशि अमानत के रूप में एक वर्ष के लिये द्वितीय पक्ष के पास सुरक्षित जमा रहेगी तथा शेष निविदाकताओं जिनकी निविदाएं असफल होगी, उनकी राशि निविदा की चयन प्रक्रिया के पश्चात् मूलतः निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।

04. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बंद निविदाएं, **दिनांक 17.10.2025 को समय दोपहर 12:00 बजे** से, खोली जाकर अंतिम रूप दिया जावेगा, जिस पर अधिकतम निविदाकर्ता की निविदा मान्य होगी। उक्त राशि 06 माह की अग्रिम राशि चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से फोटोकॉपी कक्ष के संचालन के एक सप्ताह पूर्व अनुबंध सहित द्वितीय पक्ष "जिला रजिस्ट्रार, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र

न्यायाधीश पन्ना'' के हित में जमा कराना होगा। आगामी शेष 06 माह की राशि प्रथम 6 माह समाप्त होने के 15 दिवस शेष रहने के पूर्व जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

05. जिन निविदाकर्ताओं के पक्ष में अंतिम रूप से बोली स्वीकार होती है, एक वर्ष के संचालन के उपरांत यदि वह आगामी एक वर्ष के लिए संचालन चाहते हैं, तो पूर्व से निर्धारित किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि पर देय होगी। जिसके लिये निविदाकर्ताओं को संचालन अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

06. निविदाकर्ता द्वारा निविदा शर्तों के अधीन लिये गए फोटोकॉपी कक्ष एक वर्ष की अवधि के लिये होगी, यदि निविदाकर्ता एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व संचालन बंद किया जाता है तो अमानत के रूप मे जमा राशि जप्त/राजसात की जाकर शासन के हित में जमा की जावेगी।

07. निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा की शर्तों का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से किन्हीं भी परिस्थितियों में उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर की राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी।

08. प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का क्षेत्राधिकार/निराकरण प्रधान जिला न्यायाधीश पन्ना को होगा, जो प्रथम पक्ष पर बंधनकारी होगा।

09. निविदाकर्ता द्वारा फोटोकॉपी के संचालन के संदर्भ में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से अनुमति लिये बगैर किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन कार्य नहीं करेगा, ऐसा किये जाने पर अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

10. फोटोकॉपी संचालनकर्ता, स्वच्छता/साफ–सफाई/पारदर्शिता के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। किन्हीं भी परिस्थितियों पर उपरोक्त के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर अनुज्ञा निरस्त/समाप्त की जा सकेगी।

11. फोटोकॉपी संचालनकर्ता को विद्युत के निस्तारण/विस्तारण के संबंध में स्वयं के नाम से नियमानुसार विद्युत कनेक्शन/मीटर का संयोजन कराया जाकर, भुगतान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

12. न्यायालय परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियां एवं मादक पदार्थों अथवा द्रव्यों जैसे धूम्रपान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। संलिप्त पाये जाने पर विधि अनुसार संचालनकर्ता के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जावेगी।

13. फोटोकॉपी संचालनकर्ता द्वारा बंद निविदा के साथ पहचानपत्र जैसे कि मतदाता परिचय पत्र/ड्रायविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

14. सफल निविदाकर्ता द्वारा समय सीमा में अनुबंध निष्पादित न किये जाने अथवा फोटोकॉपी कक्ष का संचालन करने में असमर्थ होने के कारण निविदा को निरस्त/रद्द होने की स्थिति में धरोहर राशि को राजसात किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

15. फोटोकॉपी संचालन हेतु अनुबंध 1000/– रुपये के स्टाम्प में मान्य होगा, जो प्रथम पक्ष के लिये बंधनकारी होगा एवं निविदाएं सफल होने पर सफल निविदाकर्ता को 15 दिवस के अंदर अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

''मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।''

....

....

हस्ताक्षर
निविदा (प्रथम पक्ष)

जिला रजिस्ट्रार
कार्या0–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला–पन्ना (म.प्र.)

हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना (म.प्र.)</u>

<u>//निविदा आमंत्रण सूचना//</u>

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय परिसर पन्ना स्थित सर्विस बिल्डिंग के अंतर्गत स्थित **फोटोकॉपी कक्ष क्रमांक 02** के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाएं, व्यक्ति एवं कम्पनी से बंद निविदा प्रस्ताव आमंत्रित की जानी है। निविदा की शर्तें संबंधी निविदा प्रलेख मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर टेण्डर के कॉलम में एवं जिला न्यायालय पन्ना की वेबसाइट **https://panna.dcourts.gov.in** पर उपलब्ध हैं। इच्छुक संस्थाए/व्यक्ति/कम्पनी अपना आवेदन निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुये **दिनांक 16.10.2025 के सायंकाल 05:00 बजे** तक **कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना** में जमा कर सकते हैं।

निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बंद निविदाएं, **दिनांक 17.10.2025 को समय दोपहर 12:00 बजे से**, खोली जाकर अंतिम रूप दिया जावेगा, जिस पर अधिकतम निविदाकर्ता की निविदा मान्य होगी। उक्त समय में निविदाकर्ता यदि उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो वह किसी अन्य को प्रतिनिधि के रूप में अधिकार पत्र के साथ उपस्थित होने के लिये संसूचित कर सकते हैं, किन्तु अनुपस्थिति की दशा में किसी भी प्रकार की, की गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म.प्र.)